उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-11/2020/4781/41-2020-114(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2021

संख्या-310/2020/4438/41-2019-114(बजट)/2018 दिनांक 21 दिसम्बर 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद कुशीनगर में स्थित राही पथिक निवास का सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-310/2020/4438/41-2019-114(बजट)/2018 दिनांक 21 दिसम्बर 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4794/6-1-1/(1097)/2019 दिनांक 24-12-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर**-2** एवं प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-1 में त्रुटिवश प्रायोजना हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-229 /2019/2685/41-2019-114(बजट)/2018, दिनांक 04-10-20219 अंकित एवं प्रस्तर-3 के ही उपप्रस्तर-11 में तृतीय किश्त अंकित हो गया है।

2. अतः एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-310/2020/4438/41-2019-114(बजट)/2018 दिनांक 21 दिसम्बर 2020 के प्रस्तर**-2** एवं प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-1 में त्रुटिवश अंकित प्रायोजना हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-229 /2019/2685/41-2019-114(बजट)/2018, दिनांक 04-10-20219 अंकित एवं प्रस्तर-3 के ही उपप्रस्तर-11 में तृतीय किश्त **को विलोपित करते हुये उनके स्थान पर** शासनादेश संख्या-229/2019/2685/41-2019-114(बजट)/2018, दिनांक 04-10-2019 एवं प्रस्तर-3 के ही उपप्रस्तर-11 में द्वितीय किश्त **अंकित किया जाता है।**

3- शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2020/4781(1)/41-2020-114(बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 इकाई-29, गोरखपुर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन ।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in